

Roll No. :

Total No. of Questions : 11]

[Total No. of Printed Pages : 4

LL-2027

LL.M. (Part-II) Examination, 2022 PENOLOGY AND VICTIMOLOGY Branch-II

Paper - II

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

Note :- Answer all *ten* questions (Answer limit 50 words). Each question carries 2 marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

नोट :- सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 50 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

Note :- Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit 200 words). Each question carries 7 marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

नोट :- सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा 200 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

Note :- Answer any *three* questions out of five (Answer limit 500 words). Each question carries 15 marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

नोट :- पाँच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 500 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है।

BR-976

(1)

LL-2027 P.T.O.

Section–A

(खण्ड–अ)

1. (i) Define Penology.
दण्डशास्त्र को परिभाषित कीजिए।
- (ii) What is the main basis of Punishment ?
दण्ड का मुख्य आधार क्या है ?
- (iii) Define the term 'Probation'.
'परिवीक्षा' पद को परिभाषित कीजिए।
- (iv) What do you understand by 'Corrective Labour' ?
'करेक्टिव लेबर' से आप क्या समझते हैं ?
- (v) What do you mean by 'Pre-sentence hearing' ?
'दण्ड-पूर्व सुनवाई' से आप क्या समझते हैं ?
- (vi) What do you understand by 'Indeterminate Sentence' ?
'अनियत दण्डादेश' से आप क्या समझते हैं ?
- (vii) What is Prison education ?
कारागार शिक्षा क्या है ?
- (viii) What is Open-Jail ?
खुला जेल क्या है ?
- (ix) Write a note on 'Victims of Crime'.
'अपराध के पीड़ित' पर टिप्पणी लिखिए।
- (x) What kinds of compensation are available to Victims ?
पीड़ितों को किस प्रकार का प्रतिकर प्राप्त होता है ?

Section-B

(खण्ड-ब)

2. Explain the merits and demerits of preventive theory of Punishment.

दण्ड के निवारणात्मक सिद्धान्त के गुणों एवं अवगुणों को समझाइए।

Or

(अथवा)

State the Judicial views on Capital Punishment.

मृत्युदण्ड पर न्यायिक दृष्टिकोणों को बताइए।

3. Discuss the advantages and disadvantages of Probation.

परिवीक्षा के लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए।

Or

(अथवा)

Write a short note on Collective Fines.

सामूहिक जुर्माना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

4. Explain the types of Punishment as given under the Indian Penal Code, 1860.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दिए गए दण्ड के प्रकारों को समझाइए।

Or

(अथवा)

Write a note on Plea-bargaining.

अभिवाक् सौदा पर टिप्पणी लिखिए।

5. Explain the classification of Prisoners.

बन्दियों के वर्गीकरण को समझाइए।

Or

(अथवा)

What constitutional safeguard have been provided to arrested persons in India ?

भारत में गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है ?

6. State the compensation to victims given under the Code of Criminal Procedure, 1973.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पीड़ित को दिये गए प्रतिकर को बताइए।

Or

(अथवा)

What are the main reasons for giving inadequate compensation to victims of Criminality ?

अपराधिता से पीड़ित व्यक्ति को अपर्याप्त प्रतिकर दिए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

Section-C

(खण्ड-स)

7. "In Penology Punishment is awarded only because of the fact that there are no alternatives available to it." Critically analyse this statement.

“दण्डशास्त्र में दण्ड सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वास्तव में उसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।” इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

8. Discuss the relevant laws regarding probation in legal system.

विधिक व्यवस्था में परिवीक्षा से सम्बन्धित सुसंगत विधियों की विवेचना कीजिए।

9. Discuss the relevant laws and judicial approach towards sentencing habitual offenders.

अभ्यस्त अपराधियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में सुसंगत विधि एवं न्यायिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।

10. Discuss the advantages and disadvantages of parole as a method of prison reform. Do you suggest any other alternate to Parole ?

कारागार के सुधार के रूप में पैरोल के लाभ एवं हानियों की विवेचना कीजिए। क्या आप पैरोल का कोई विकल्प सुझाते हैं ?

11. Discuss the development of Victimology with special reference to India.

भारत के विशेष सन्दर्भ में उत्पीड़नशास्त्र के विकास की व्याख्या कीजिए।